



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U. P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 63-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2024

दिनांक : 25 मई, 2024

कार्यालय झाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर एतद्वारा विद्युत एवं यांत्रिकी सर्वगं के निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से On seat प्रोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं०	नाम(सर्वश्री)/अभि०सं०/सैप आई०डी०/ गृह जनपद/से०नि० की तिथि	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय
1.	जितेन्द्र कुमार/ 91051/ 11007188/ हरिद्वार/ 30.06.2026	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, उ०प्र० पाट्टाकालि, मेरठ अतिरिक्त कार्यभार विद्युत पारेषण मण्डल, उ०प्र० पाट्टाकालि, गाजियाबाद।

- उपर्युक्त प्रोन्नति का आदेश दिनांक 01.06.2024 से प्रभावी होगा।
- नियमित तैनाती आदेश बाद में निर्गत किये जायेंगे।
- उपर्युक्त अभियन्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हुए उपर्युक्त प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया जा रहा है।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है जिसके कारण प्रोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जा रहे थे। तत्कम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत पत्र सं०-4/2024/417/सैतालीस-का-1-2024-13(2)/2024, दिनांक 10.05.2024 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कार्मिकों की जिनका चयन वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है, चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उत्पन्न हो रही रिक्तियों के सापेक्ष उसी स्थान पर In situ प्रोन्नत किया जा सकता है। अतः उक्त के क्रम में उपर्युक्त In situ प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है।

अध्यक्ष

संख्या- 63(1)-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(प्रशान्त कुमार)
उप सचिव (02अ)